सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 167 / 2009 दर्ज दिनांकः—18.12.2009

1. लक्ष्मनसिंह पता— .....प्रार्थी

बनाम

2. लालसिंह पता— .....अप्रार्थीगण

उपस्थितः

दुली चन्द शर्मा प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः—24.05.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट घुस्यारी पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी लालसिंह उपस्थित / प्रतिवादी दीपचन्द उपस्थित प्रतिवादी लालसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जा संलग्न पत्रावली है। वादीगण द्वारा अपनी अभिलिखित खातेदारी के खसरा नम्बर 5630 / 0.23 है0 स्थित ग्राम घुस्यारी पर धारा 188 आर.टी.ए. का दावा प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाते हुए पेश किया है। नक्शा अक्स के अनुसार हाल ख.नं. 563 से लगता हुआ 557 गै.मु.रास्ता सिवायचक मकबूजा राज है। वादीगण अपने 188 आर.टी.ए. के दावे की आड में सरकारी सम्पत्ति हाल ख.नं. 557 पर कब्जा नाजायज करना चाहता है। उसके द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधि भूमि धारी तहसीलदार भरतपुर व स्थानीय सरपंच ग्राम पंचायत को पक्षकार न बनाकर प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाया है। प्रतिवादीगण दीपचन्द व लालसिंह स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि उनका स्वयं का हाल ख.नं. 557 गै. मु. सिवायचक के रकवे पर गैतवाडा बना हुआ है। जिसके बाबत उन्होने सिविल कोर्ट में दावा किया हुआ है। सिविल कोर्ट द्वारा दिनांक 31.10.2009 को मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु T.I. जारी की हुई है। सिविल कोर्ट में राजसरकार को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए यह T.I. राजसरकार पर प्रभावी नहीं है। हमने स्वयं के द्वारा मौका देखा। मौके पर एक गैतवाडा बना हुआ है। जिसकी कोई स्वीकृति उसके हितधारी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः आज्ञा है किः—

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तहसीलदार भरतपुर व ग्राम पंचायत को लिख जावे कि वह हाल ख.नं. 557 / 0.75 है। स्थित ग्राम घुस्यारी गै0 मु0 रास्ता सिवायचक मकबूजा राज से समस्त अतिक्रमण गैतवाड़ा आदि अन्दर 7 दिवस हठाकर पालना पेश करें। ताकि जन साधारण गैर मुमकिन रास्ते का निवधि रूप से उपयोग व उपभोग कर सके। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)
सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official